उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–52/2022–23

सरकार

–बनाम–

फिलो देवी वगै0

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –1933/अप0शा0 दिनांक – 18.07.2022 के द्वारा वादी श्री रामनाथ राय पे0–श्री भवसागर राय सा0–नारायणपुर थाना–तरैया जिला–छपरा बिहार वर्त्तमान जिला खनन पदाधिकारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर पालकोट थाना काण्ड सं0–34/2022 दिनांक–02.06.2022 धारा–7/13 झारखण्ड खनिज (अवैद्य खनन पर रोक परिवहन एवं भण्डारण) नियम–2017 के तहत् अवैद्य रुप से बालू का उठाव एवं परिवहन तथा पत्थर का परिवहन करने के आरोप में जप्त (1) ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH07H-4378 के मालिक फिलो देवी पति– स्व0 इन्द्रनाथ गोप ग्राम–डुमरडीह थाना–गुमला जिला–गुमला (2) ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH07D-5241 के मालिक अजय खनियार पे0–एतवा खनियार ग्राम–उमड़ा केराटोली थाना–पालकोट जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि फिलो देवी पति– स्व0 इन्द्रनाथ गोप ग्राम–डुमरडीह थाना–गुमला जिला–गुमला का जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH07H-4378 पालकोट थाना काण्ड सं0–34/2022 में अवैध रुप से बालू का उठाव एवं परिवहन करने के आरोप में जप्त किया गया है। जप्त वाहन के मालिक इस काण्ड में जुर्माना राशि देने को तैयार है, तथा उक्त वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधित) नियमावली 2017, के नियम–54(5) में खनिजों के मूल्य के स्थान पर खनिजों के मूल्य के दोगुणी राशि के बराबर दण्ड वसूलनीय है।

अतः जिला खनन पदाधिकारी गुमला को निदेशित किया जाता है कि पालकोट थाना काण्ड सं0–34/2022 में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH07H-4378 में पायी गयी खनन वस्तुओं के मात्रा के आधार पर दण्डनीय राशि वसूल करते हुए सरकारी कोष में उक्त राशि को जमा कर दी जाय।

शेष इस काण्ड में जप्त वाहनों (1) ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH07D-5241 के मालिक अजय खनियार पे0–एतवा खनियार ग्राम–उमड़ा केराटोली थाना–पालकोट जिला–गुमला को The Jharkhand Minerals (Prevntion of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 एवं Rule 11 (V) "Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के तहत अवैध रुप से बालू का उठाव एवं परिवहन तथा पत्थर का परिवहन करने के आरोप में पालकोट थाना काण्ड सं0–34/2022 जप्त वाहन एवं उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH07D-5241 को राजसात किया जाता है।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

09.11.22
उपायुक्त,
गुमला

09.11.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.15 16:33:23 +05:30
Location: 192.168.5.107

Scanned with OKEN Scanner